

25/7/24

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कर्नल
रक्षण/P.O. शा. राज्य में कर्नल
छोने से जनरल तारीख पेश की गई तथा
आदेश की पाठान्त में दिनांक 13/7/24
को पेश हो।

उपखण्ड सिंडर

13/7/24

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कर्नल
रक्षण में कर्नल
छोने से जनरल तारीख पेश की गई तथा
आदेश की पाठान्त में दिनांक 10/7/24
को पेश हो।

उपखण्ड सिंडर

10/7/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पंडित
(उप) कर्नल कर्नल दिनांक 26/7/24 को
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बादीकुर

16/7/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पंडित
(उप) तामील पत्र कर्नल निवेदना
पर (उप) वकील कर्नल सुनी विवे
कोडिस पत्रावली दिनांक 21/7/24 को पेश हो।

Lu

9/7/24

पत्रावली पेश हुई। वकील (उप) कर्नल
(उप) तामील कर्नल निवेदना पर
(उप) वकील कर्नल पर अनुरोध किया
तामिल पत्र कर्नल निवेदना में पेश
किया का पत्रावली किया गया। पत्रावली

Lu

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इतिहास जज

000-10 लाख फा.

FORM

फर्द 3

(निर)

कलेक्टर

विज्ञापित

000 फा. निदेशिका

हुकम या कार्यवाही मय इ

द्वारा अप्रतिपक्ष निवेदना के अन्तर्गत
 सि. क्रम - 307/83 एवं बसवा हाल एवं बौदीपुर
 जिला जिला के अन्तर्गत नया - 85 पुर्वा - 83
 के ख. नं. 307 लगा 309 कुल किला - 03
 कुल रकबा - 0.83 हेक्टर अर्थात् जिसके
 जमीन खाली कारखाने हैं जमीन की
 जमीन के आवधिक नं. 94 रकबा 6 बीघा 12
 बीघा के अन्तर्गत हैं। जो कि जमीन के
 पंजीयन नं. 303, 304, 353/88
 कुल किला - 03 कुल रकबा - 0.84 हेक्टर अर्थात्
 जमीन 307/83 एवं बसवा हाल एवं बौदीपुर जिला
 जिला में है अर्थात् अन्तर्गत नं. आवधिक नं. 94
 से बने हैं। जमीन का वर्तमान रकबा शीट में
 रकबा लगभग 0.13 हेक्टर कम जमीन की लम्बीम
 कर रखी है जबकि मौके पर जमीन रकबा
 0.83 हेक्टर पर काबिल है जमीन एवं अप्रतिपक्ष
 जब अपने अपने 1/2 - 1/2 हिस्से अनुसार
 काबिल है अ-प्रत्यक्ष द्वारा अर्थात् जमीन
 के खसरा नं. 307 लगा 309 कुल किला - 03
 कुल - रकबा - 0.83 हेक्टर की नक्शा ट्रेस में
 0.70 हेक्टर की गलत लम्बीम कर रखी है
 अ-प्रत्यक्ष द्वारा गलत लम्बीम कर जमीन
 का रकबा करीब 0.13 हेक्टर कम कर अप्रतिपक्ष
 सं. 01 के खसरा नं. 303 के रकबा में गलत
 लम्बीम कर रखी है जमीन ने अप्रतिपक्ष सं.
 1 से अर्थात् गलत लम्बीम को दुरुस्त करवाने के
 कथन से अर्थात् नक्शा बना कर दिखा और कथन
 हम ले जायें हमारी नक्शे में अर्थात् लम्बीम
 रखी है इस सीमा तक

उस हिस्से में अर्थात् पर
 रहेगे। अतः अप्रतिपक्ष
 जाके। अप्रतिपक्ष के
 है कि अर्थात् नक्शे में
 दुरुस्ती का है जिसका
 होने तक अप्रतिपक्ष को
 अर्थात् अर्थात् अर्थात्
 अर्थात् एवं अर्थात्
 अप्रतिपक्ष के पक्ष में होने
 अप्रतिपक्ष के अर्थात्
 अप्रतिपक्ष के अर्थात्
 किला जिला अर्थात् अर्थात्
 अप्रतिपक्ष के अर्थात् पर मनन
 के अर्थात् के अर्थात् पर
 पर अप्रतिपक्ष निवेदना अर्थात्
 तथा अप्रतिपक्ष को अर्थात्
 अप्रतिपक्ष निवेदना अर्थात्
 जमीन ख. नं. 307, 308, 309
 कुल रकबा - 0.83 हेक्टर के
 एवं बौदीपुर में किला जिला
 अप्रतिपक्ष के अर्थात् अर्थात्
 अर्थात् के अर्थात् अर्थात्
 अर्थात् के अर्थात् अर्थात्
 अर्थात् के अर्थात् अर्थात्
 अर्थात् के अर्थात् अर्थात्

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

त कलेक्टर मुकाम बांदीकुई
 विठ्ठलसिंह वृंर बनाम शान्त डेवी
 नं० ७७०५५ (काली निवेद्यास) नं० ६९/२०१९ सन् २०१९

व हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उस हिस्से की धार पर उबरन कक्षा करके रहेगे। अतः क्यार्भगिन को पावनु किया जावे। अर्पण पत्र के फवलोमन से उकर हुकि उकरन चक्के में उकरकी तरमीम दुरुस्ती का हु जिसका विधीवत निस्तारण हुगे तक क्यार्भगिन को पावनु कियाजाण हुगे तकी हुवे हु तदनुसार खिधा का डिपिट उतीर हुवे हु तदनुसार खिधा का खनुलन एवं क्यार्भगिन साते का सिधात क्यार्भगिन के पक्ष में हुगे उतीर हुवे हु उपरोक्त विवेचन से क्यार्भगिन अर्पण पत्र स्वीकार किया जाना डिपिट उतीर हुवे हु अतः कथम उक्तपक्ष पकील पर मनन करने एवं फावली के फवलोमन के आधार पर क्यार्भगिन अर्पण पत्र काली निवेद्यास स्वीकार किया जात हु तथा क्यार्भगिन को तोकसुल मुलवाड जर्त काली निवेद्यास प्रविधित कियाजात हुकि काली ख.नं. ३०७, ३०८, ३०९ कुन किला-०३ कुल खका-०.६३ हेक्टर के ग्राम-डडेवाडा हुड बांडीकुई में किली की प्रकार का कौड खाम व हुम्त निर्माण गदी करे, फसलकते व काले में कौड उपबन्धन पैदा न करे, क्यार्भगिन के उपरोक्त उपरोक्त में किलीनी उकार की गजमत पैदा न करे। फावली फसलबुधन हुकर, कौड लकाल हुकमिल

खु ए -